P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा

गोविन्द बाबू
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
दिगम्बर जैन कालिज,
बडौत, बागपत

सारांश

खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य, गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूप में पर्याप्त होने चाहिएं ताकि वे पोषण सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर सके। किन्तु सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें। इस प्रकार देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। पात्र परिवारों को प्रति माह पांच किग्रा0 चावल गेहूँ व मोटा अनाज क्रमशः 3 , 2 व 1 रुपये प्रति किग्रा0 की रियायती दर पर मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा0 अनाज का मिलना पूर्ववत् जारी रहेगा।

मुख्य शब्द : खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन, पर्याप्त भोजन, गुणवत्ता, पोषण, मेगा फूड पार्क, प्रसंस्करण, किसान, जनसंख्या।

प्रस्तावना

विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा ''सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि'' के रूप मे की है। किन्तु खाद्य एवं कृषि संस्था ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा '' सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन के रूप में की है।''

इन परिभाषाओं से निम्नलिखित बातें उभरती हैंः खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य, गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूप में पर्याप्त होने चाहिएं ताकि वे पोषण सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर सके। किन्तु सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें।

कोई राष्ट्र किसी समय विशेष पर स्वावलम्बिता प्राप्त कर सकता है परन्तु खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक समय, विश्वसनीय और पोषण की दृष्टि से खाद्य का पर्याप्त संभरण दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह कि किसी राष्ट्र में खाद्य संभरण की इतनी वृद्धि दर आश्वस्त करनी होगी कि इससे न केवल जनसंख्या की वृद्धि का ध्यान रखा जा सके बल्कि इसके साथ–साथ लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य की मांग में वृद्धि की भी पूर्ति की जा सके।

आम तौर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा समग्र जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। इस दृष्टि से ये अवधारणा संकुचित है। परन्तु एक गतिशील और विकासमान अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में समाज द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था में परिवर्तन के साथ तब्दीली होती रहती है। इस दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा की निम्नलिखित अवस्थाएं कल्पित की गयी हैः

1. प्रथम अवस्था मानवीय जीवन को कायम रखने के लिए सभी को अनाज के रूप में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए।
2. द्वितीय अवस्था में खाद्य सुरक्षा के रूप में अनाजों एवं दालों की पर्याप्त उपलब्धि अनिवार्य होनी चाहिए।
3. तृतीय अवस्था में खाद्य सुरक्षा में अनाज, दालों और दूध एवं दूध के उत्पाद को शामिल कर सकते है।
4. चतुर्थ अवस्था में खाद्य सुरक्षा में अनाज, दालों, दूध एवं दूध के पदार्थ, सब्जियाँ और फल, मछली, अण्डे और गोश्त को शामिल कर सकते है।

खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वासन मिलना खाद्य सुरक्षा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं तथा केरोसिन को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई। इसके तहत देश भर में फैली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से गेहूँ, चावल, चीनी तथा केरोसिन उपलब्ध कराया जाता है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त गरीब जनसंख्या को मूल्यों में उतार चढाव से अप्रभावित रखती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधीन खाद्यान्न आवंटन और निकासी

वर्ष	आवंटन			निकासी			6,3 का प्रतिशत
	गेहूँ (1)	चावल (2)	कुल (3)	गेहूँ (4)	चावल (5)	कुल (6)	
1991–92	103	104	217	88	102	190	87.5
1993–94	103	114	217	88	102	190	87
1995–96	113	146	259	53	94	147	57
2000–01	115	163	278	40	79	120	43
2005–06	167	277	444	122	192	314	30
2006–07	92	263	353	104	212	316	88
2007–08	87	206	293	109	226	335	82
2008–09	110	174	284	125	221	346	88
2009–10	–	–	–	190	234	424	–

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1997 में इसकी शुरूआत की गई। इस योजना के तहत मूल्य निर्धारण के लिए उपभोक्ताओं को दो वर्गों गरीबों की रेखा से नीचे तथा गरीबी की रेखा से ऊपर में बांटा गया है। इन दोनों ही वर्गों को विशेष पहचान युक्त राशनकार्ड जारी किए जाते है।

अन्त्योदय अन्न योजना

अत्यधिक गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों को एक विशेष राशनकार्ड जारी करके प्रतिमाह रुपये 2 प्रति किग्रा की दर से गेहूँ तथा रुपये 3 प्रति किग्रा की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह योजना अक्टूबर 2007 में पेश की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना को जारी रखा गया है तथा इसमें नए लक्ष्य भी सम्मिलित किए गए है। इन लक्ष्यों में प्रमुख है खाद्यान्न उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढाना जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ, 4 मिलियन टन दालें, 3 मिलियन टन मोटा अनाज शामिल है। वर्ष 2014–15 से 28 राज्यों के 619 जिलों में नवीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चल रही है। 2014–15 से इसमें व्यावसायिक फसल (कपास, जूट व गन्ना) तथा मोटे अनाज भी जोडे गए है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण का खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध हो सके। भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरान्त सरकार द्वारा 10 सितम्बर 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पर केन्द्र सरकार का व्यय

वर्ष	व्यय (करोड रुपये) चालू कीमतों पर
1980–81	650
1990–91	2450
2000–01	12120
2004–05	27798
2005–06	23077
2006–07	24014
2007–08	31260
2008–09	43668
2009–10	58242
2010–11	51197

दोपहर के भोजन का प्रोग्राम

दोपहर के भोजन का प्रोग्राम 2–14 वर्ष की आयु के बीच बालवाडी/स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए आरम्भ किया गया और इस पर 44 से 90 पैसे प्रति लाभप्राप्तकर्ता खर्च करने का निर्णय किया गया। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए नही है जो स्कूल नहीं जाते हैं। इस प्रोग्राम को अब नया नाम दिया गया है– प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 1975 के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 4480 ब्लाको में सर्वव्यापक रूप में लागू किया जा रहा है। मार्च 1997 तक लगभग 6 करोड स्कूलों में बच्चे इस प्रोग्राम के आधीन लाए गए। जबकि दोपहर के भोजन का प्रोग्राम तमिलनाडु, कर्नाटक

और दक्षिण के अन्य राज्यों में सफल हुआ है, यह उत्तर भारत के राज्यों में विफल हुआ है।

खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1950–51 में 510 लाख टन था, बढकर 2008–09 में 2340 लाख टन हो गया– चार गुना से अधिक वृद्धि। अनाजों का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तेजी से बढा है, परन्तु दालों का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तेजी से बढा है, परन्तु दालों का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में पिछड गया है। परिणामतः दालों का प्रति व्यक्ति उपभोग 60.7 ग्राम से कम होकर 42 ग्राम हो गया।

खाद्य प्रबन्धन

खाद्य प्रबन्धन के मुख्य उद्देश्य लाभकारी मूल्यों में किसानों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उपभोक्ताओं खासकर समाज के कमजोर वर्गो को वहनीय कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण और खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य विस्तार के लिए खाद्य बफर का अनुरक्षण है। उपयोग में लाए गए लिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य है।

खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भण्डारण करने वाली नोडल एजेन्सी भारतीय खाद्य निगम है। एमएसपी पर अधिप्राप्ति खुली है, जबकि वितरण आवण्टन के स्केल और लाभभोगियों के उपभोग से नियन्त्रित है। खाद्यान्नों की कुल खरीद प्राथमिक तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए है।

खाद्य सब्सिडी

सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के जरिए गरीबों को न्यूनतम पोषाहार सहायता का प्रावधान और विभिन्न राज्यों में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के दो उद्देश्य है। समुचित वितरण का अपना दायित्व पूरा करते हुए सरकार खाद्य सब्सिडी देती है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2012–13 में किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से तथा खाद्य पदार्थों को लम्बे समय तक संरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाएगा।

मेगा फूड पार्क

मेगा फूड पार्क योजना केन्द्र की ओर से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को सितम्बर 2008 में आरम्भ किया गया तथा योजना के तहत देश के भिन्न–भिन्न स्थानों में 10 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के तहत 30 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए है। 12वीं योजना (2012–17) के तहत 50 मेगा फूड पार्क स्थापित करने की बात कही गयी है। देश में वर्तमान में 35 मेगा फूड पार्क है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम मेगा फूड पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी आपूर्ति शृंखला के जरिए मजबूत खाद्य प्रसंस्करण अवंसरचना की स्थापना द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में प्रगति लाना है। देश में इस तरह के फूड पार्क निम्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे।

1. फसल के बाद नुकसान को कम करेगा
2. स्थायी तरीके से आपूर्ति शृंखला का रख रखाव
3. मूल्य संवर्द्धन
4. किसानों को अतिरिक्त आय का सृजन
5. किसानों का अधिक बाजार संचालित और खेती गतिविधियों की ओर स्थानान्तरण

निष्कर्ष

1. इस कानून के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
2. इस प्रकार देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
3. पात्र परिवारों को प्रति माह पांच किग्रा0 चावल गेहूँ व मोटा अनाज क्रमशः 3 , 2 व 1 रुपये प्रति किग्रा0 की रियायती दर पर मिल सकेगा।
4. अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा0 अनाज का मिलना पूर्ववत् जारी रहेगा।
5. इसके लागू होने के 365 दिन की अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।
6. खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में लाभार्थी को ,खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जायेगा।
7. इस अधिनियम मे जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *लेखकः राकेश कुमार रोशन अरिहन्त पब्लि0 इण्डिया लि0 मेरठ ''भारतीय अर्थव्यवस्था''*
2. *केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा की रिपोर्ट*
3. *गौरव दत्त एवं सुन्दरम ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' प्रकाशन एस0 चन्द्र एण्ड लि0 रामनगर नई दिल्ली।*
4. *लेखकः एस0के0 मिश्रा एण्ड वी0के0 पुरी ''भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकाशनः हिमालया पब्लि0 हाउस अंसारी दरियागंज दिल्ली।*
5. *वेबसाइट*
6. *लेखकः पी0के0 गुप्ता प्रकाशन वृंदा पब्लि0 प्रा0लि0 दिल्ली–91 ''कृषि अर्थशास्त्र''*
7. *पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के भाषण के मुख्य अंश।*
8. *आर्थिक सर्वे*
9. *जे0सी0 पन्त भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य प्रकाशन आगरा।*
10. *अमर उजाला मेरठ खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट।*